न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2021/384

प्रार्थना पत्र संख्या 89/2021 तारीख रजू 04.10.2021

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर ....प्रार्थी

बनाम

1. शिवराज सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत निवासी मलारना डूंगर ....अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 11.05.2026

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 31.07.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी शिवराज सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत निवासी मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर में आदेश दिनांक 31/07/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी बाद तामिल अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा भू.अ. निरीक्षक मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं है, अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के संवत 2075 की गिरदावरी के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है एवं अन्य व्यक्तियों का कब्जाकाश्त है। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 31.07.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अति. जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी को जारी नोटिस क्रमांक 850 दिनांक 11/08/2025 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थी शिवराज सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत निवासी मलारना डूंगर नियत पेशी दिनांक 03/09/2025 को एवं उसके उपरान्त आदिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रकरण में पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनने एवं उस पर मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी शिवराज सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत निवासी मलारना डूंगर तह0 मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार फरमाया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर पर कब्जा नहीं होने के कारण आवंटी के पक्ष में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 31.07.2002 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मलारना डूंगर के आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर